10/01/23

पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के वकीलों से बहस सुनी गयी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:12:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 120/2022

प्रार्थीगण :–

1. मेघाराम पुत्र खेराजराम
   जाति जाट निवासी लक्ष्मणनगर, धोलपालियानाडा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. अणसीदेवी पत्नी रूपाराम
2. अनूदेवी पत्नी दानाराम
3. उगराराम पुत्र खेराज
4. गंगादेवी पत्नी लाखाराम
5. चन्द्रावती पत्नी राजेन्द्र कुमार
6. चम्पादेवी पत्नी राऊराम
7. जोगाराम पुत्र उगराराम
8. तुलसीदेवी पत्नी कलाराम
9. धाईदेवी पत्नी अचलाराम
10. राजूराम पुत्र उगराराम
11. सिरूदेवी पत्नी धूडाराम
12. चुतराराम पुत्र सोनाराम
13. देदाराम पुत्र सोनाराम
14. धीराराम पुत्र सोनाराम
15. प्रदीप पुत्र सोना
16. सुखाराम पुत्र सोनाराम
17. केनाराम पुत्र अमराराम
18. भोमाराम पुत्र अमराराम
19. भगवारा उर्फ भगाराम पुत्र टीकमाराम
20. चेतनराम पुत्र मूलाराम
21. बगताराम पुत्र लिछमणाराम
    जाति जाट निवासी लक्ष्मणनगर, धोलपालियानाडा तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
22. चम्पादेवी पत्नी जगदीश कुमार जाति जाट निवासी हीरपुरा
23. ईशाखां पुत्र मतारा
24. निजाम खां पुत्र मतारा
25. शकूरखां पुत्र मतारा
    जाति मुसलमान निवासी लक्ष्मयानगर ग्राम पंचायत धोलपालियानाडा तहसील नौखडा
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार नौखड़ा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री कुंमाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी 2,4,11**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 10.01.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:12:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु [illegible] पैमाईश [illegible] पर गद्दी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। विप्रार्थी संख्या 2, 4, [illegible] की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा विवादित खसरा नम्बर 165/1 [illegible] विप्रार्थीगण के पाडौसी खसरा नम्बर 165 की भूमि के सम्बन्ध में तरमीम दुरूस्ती का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होना अवगत कराते हुए तरमीम दुरूस्ती तक नेखमबन्दी कार्यवाही स्थगित रखे जाने का मौखिक कथन किया। शेष विप्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी 2072 से 2075 (2078) वर्ष 2021 से स्थायी सरहद मौजा लक्ष्मणनगर के खेत खसरा नम्बर 165/1 रकबा 7.7457 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। चूंकि विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 165 की तरमीम दुरूस्ती के आदेश पारित किये जा चुके हैं ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में वाद तरमीम शुद्धि विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद सरहद मौजा लक्ष्मणनगर के खेत खसरा नम्बर 165/1 रकबा 7.7457 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में **इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 12/2022 उनवान अन्नुदेवी बनाम मेघाराम में ग्राम लक्ष्मणनगर के खेत खसरा संख्या 165/1 व 165 की तरमीम दुरूस्ती के आदेश दिनांक 03.01.2023 की पालना सुनिश्चित करते हुए** सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:12:38 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 10/[illegible]3 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी